बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम

स्रोत: पी. आई. बी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DoWR, RD & GR) द्वारा प्रस्तावित**केंद्र प्रायोजित योजना यानी** "बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम **(FMBAP)**" को वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।

- FMBAP में दो घटक शामिल हैं: **बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP) और नदी प्रबंधन तथा सीमा क्षेत्र (RMBA)।**
- बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी व्यवस्था और समुद्री कटाव-रोधी कार्यों हेतु FMP घटक।
    - **फंडिंग पैटर्न:**
        - **वित्त पोषण का पालन किया जाने वाला पैटर्न 90 प्रतिशत (केंद्र):** विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये (8 उत्तर-पूर्वी राज्य और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर) 10 प्रतिशत (राज्य) तथा 60 प्रतिशत (केंद्र): सामान्य/गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये 40 प्रतिशत (राज्य) है।
- RMBA घटक **(100% केंद्रीय सहायता) बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी कार्यों और पड़ोसी देशों** के साथ संयुक्त जल परियोजनाओं सहित सीमावर्ती नदियों पर सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर केंद्रित है।
- यह योजना राज्यों को बाढ़ मैदान का क्षेत्रीकरण (Flood Plain Zoning) को लागू करने के लिये प्रोत्साहित करती है, जो एक प्रभावी बाढ़ प्रबंधन उपाय है।
    - **बाढ़ मैदान का क्षेत्रीकरण** बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है और बाढ़ के दौरान क्षति को कम करने के लिये अनुमेय विकास को निर्देशित करता है।

और पढ़ें: बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/flood-management-and-border-areas-programme-1